From: jitu kumawat <jitu.kumawat9@gmail.com>
Date: 10 September 2019 at 6:40:45 PM IST
To: arvind@gov.in
Subject: Re: Cable operator

सेवा में ,चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया
जवाहर लाल नेहरू मार्ग
नई दिल्ली 110002

विषय (टैरिफ पर परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 से सम्बंधित)

महोदय,
परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा मांगे गए सुझाव ।

जैसा कि आप जानते हैं कि केबल टीवी आम उपभोक्ताओं के लिए सूचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का एकमात्र सस्ता साधन था
जो आठवे टैरिफ के लागू होने के पश्चात कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने उसे आम उपभोक्ताओं के लिए केबल टी वी महंगा व टैरिफ का फायदा लेना कठिन कर दिया।

किसी बुके/पैकेज में शामिल चेनल्स के कुल मूल्य पर बुके/पैकेज के मूल्य पर छूट की अधिकतम सीमा (कैप) न होने जिस प्रकार अनुचित तरीके से नाजायज फायदा कुछ ब्रॉडकास्टर्स द्वारा उठाया गया है उसे देखते हुए इस अधिकतम छूट (कैप) को 15% से घटाकर 10% कर देना ही उचित होगा
जिससे उपभोक्ताओं को अगर पैकेज की जगह अलग अलग स्वतन्त्र रूप से चेनल्स लेने हो तो उन्हें चुनने में सहूलियत मिलेगी।

अगर छूट की अधिकतम सीमा लागू हुई होती तो उपभोक्ता अपने उसी बजट(मनोरंजन पर महीने में खर्च करने बाली रकम) में ज्यादा ब्रॉडकास्टर के चैनल ले सकता था

क्योकि ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा DPO (mso+lco) को पे चेनल्स पर दिया जाने बाला 20% बहुत ही कम है इस 20% में से mso व lco दोनों को आपस मे बाँटना है जिससे lco को बहुत ही कम नाम मात्र का राजस्व मिल रहा है
उदाहरण के लिए अगर किसी
चैनल मूल्य 10.00 रुपये
कुल DPO Fee 20% = 2.00 रु
Lco मार्जिन 20%में 45%=0.9 पैसे
यह बिल्कुल ही अमान्य है।

अगर आपके 15 मार्च 2016 के the telecommunication(Broadcasting and cable services) interconnection (Digital addressable cable television systems) (seventh amendment regulation, 2016 (no. 3 of 2016) के क्लॉज
12. Revenue settlement between the mso and ko and related rights and obligations
के
12.1 (d) thecharges collectedfrom the subscription of channels or bouquet of channels or channal and bouquet of channel other than those specified under clause (a) shall be shared in the ratio of 65:35 between the mso and the lco respectively.
के अनुसार गणना करें तो।
चैंनल मूल्य अगर = 10.00 रुपये
Mso 65%. = 6.50
Lco 35% = 3.50

जबकि mso मिलने बाले 65% में से ही ब्रॉडकास्टर की चैनल का मूल्य देता।

अतः बड़े अफसोस कि व सोचने की बात है कि आठवें टैरिफ के बाद lco को 10 रुपये कीमत के चैनल से मात्र 90 पैसे मिल रहे हैं जबकि पहले उसी 10 रुपये कीमत के चैनल से 3.5 रुपये मिलते थे। इस प्रकार मात्र 90 पैसे पर lco किस प्रकार कार्य करे।
अतः 20% की सीमा को बढ़ाना अति आवश्यक है। यह इस प्रकार हो कि lco को चैनल/बुके के मूल्य का कम से कम 35%राजस्व प्राप्त हो। अर्थात Dpo फी 60%(45:15 lco:mso) हो जिसमें से 45% lco व 15%mso को मिलना चाहिए

बर्तमान में NCF 130 रुपये व NCF पर बर्तमान में जो नियम हैं वह उचित हैं फिलहाल उनमें बदलाब की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें mso व lco की रैवेन्यू हिस्सेदार 10:90 के अनुपात में होनी चाहिए।10% mso व 90% lco क्योकि mso को कैरिज फी,प्लेसमेंट फी,लेंडिंग पेज एग्रीमेंट आदि और भी अन्य के द्वारा आय होती है जबकि lco मात्र ncf के हिस्सेदारी पर निर्भर है उसके ख़र्चे उसी में से हैं

सबसे महत्वपूर्ण विषय पर प्राधिकरण का ध्यान ही नहीं गया है जबकि उस उस विषय पर ध्यान पूर्ब में ही दिया जाना आवश्यक था।
जब आठवें टैरिफ के अनुसार कोई भी PAY/FTA चैनल सभी डिस्ट्रीव्यूशन प्लेटफार्म के लिए समान रूप से PAY/FTA रहेगा।
तब फिर कुछ ब्रॉडकास्टर्स अपने PAY चेनल्स को DTH (जैसे DD FREE DISH) से न तो वह चेनल्स का मूल्य ले रहे है बलिक पैसे देकर (स्लॉट लेकर) चेनल चला कर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और प्राधिकरण ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की है।
जो ब्रॉडकास्टर्स DTH (जैसे DD फ्री डिस) पर अपने चेनल्स प्रसारित कर रहे हैं उन्हें आदेशित किया जाना चाहिए कि वे उन चैनल्स को FTA घोषित करें अन्यथा DTH (जैसे DD फ्री डिस)पर उन चेनल्स का प्रसारण तुरन्त प्रभाव से बन्द करें।
जिससे नियमों का उलंघन बन्द हो।
यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि हमारी आपत्ति DD फ्री डिस की फ्री उपभोक्ताओं को उपलव्ध होने पर नहीं है।
बल्कि हमारी आपत्ति प्रसारकों (ब्रॉडकास्टर्स) द्वारा DTH (जैसे DD फ्री डिस) को फ्री में pay चैनल्स उपलव्ध कराने के साथ साथ चैनल चलाने के लिए भुगतान करने से है।

धन्यवाद
Jitendra Kumar Kumawat 9414732450
Shrinath satellite vision
Ashok Nagar Pratapgarh 312605 Rajasthan